

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1970

[U. P. Act No. 35 of 1970]

[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970]

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 and the U. P. Land Revenue Act, 1901.

U. P. Act no. 1 of 1951.

U. P. Act no. I of 1961.

U. P. Act no. III of 1901.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I
Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1970. Short title.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in clause (8-a), in sub-clause (a), for the figures and words "6.25 acres" the figures and words "1.39 hectares (4.6875 acres)" shall be substituted.

Amendment of section 3 of U. P. Act 1 of 1951.

3. For section 198 of the principal Act, the following shall be substituted, namely,—

Amendment of section 198.

"198. (1) In the admission of persons to land as *sirdars* or *asami* under section 195 or section 197 (hereinafter in this section referred to as 'allotment of land'), the Land Management Committee shall, subject to any order made by a court under section 178, observe the following order of preference :—

(a) any educational institution recognised by the Director of Education, Uttar Pradesh or by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or by a University and imparting instructions in or providing for research in agriculture, horticulture or animal husbandry ;

* (For Statement of objects and reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated Dec. 14, 1970).
(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 15, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 22, 1970).

(Received the Assent of the Governor on December 28, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated December 29, 1970).

(b) landless widow, sons, unmarried daughters and parents residing in the circle, of a person who has lost his life by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union ;

(c) a person residing in the circle, who has become landless on account of his land having been compulsorily acquired under the provisions of any law relating to acquisition of land on or after the date of vesting ;

(d) a landless person, residing in the circle, retired, released or discharged from service (other than service as an officer) in the Armed Forces of the Union ;

(e) landless political sufferer residing in the circle who has not been granted political pension ;

(f) a landless agricultural labourer residing in the circle and belonging to a scheduled caste or scheduled tribe ;

(g) any other landless agricultural labourer residing in the circle ;

(h) a *bhumidhar*, *sirdar* or *asami* holding land less than 1.26 hectares (3.125 acres) ;

(i) any other person.

Explanation I—For the purposes of this sub-section,—

(i) 'landless' refers to a person who or whose spouse or minor children hold no land as *bhumidhar*, *sirdar* or *asami* ; and except in clause (c), also held no land as such within two years immediately preceding the date of allotment ; and

(ii) 'agricultural labourer' means a person whose main source of livelihood is agricultural labour or assistance or participation with any person in the actual performance of agricultural operations on any land in consideration of a right to share in the produce grown on such land.

Explanation II—For the purposes of clause (c), 'political sufferer' means a person who is certified by the Collector to have undergone either preventive detention or sentence of imprisonment (either as a substantive sentence or in default of payment of fine) for not less than three months for participation in any movement connected with the national struggle for Freedom during the period between 1930 and 1947.

(2) The land that may be allotted to—

(i) an educational institution under clause (a) of sub-section (1) shall not exceed such area as together with the area held by it immediately before the allotment would aggregate to more than 5.04 hectares (12.50 acres) ;

(ii) any person under clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g) or clause (i) of sub-section (1) shall not exceed an area of 1.26 hectares (3.125 acres) ; and

(iii) any person under clause (h) of sub-section (1) shall not exceed such area as together with the land held by him as *bhumidhar*, *sirdar* or *asami* immediately before the allotment would aggregate to more than 1.26 hectares (3.125 acres).

(3) The Collector may of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land inquire in the manner prescribed into such allotment and if he is satisfied that the allotment is irregular he may :—

(i) cancel the allotment and the lease, if any, and thereupon the right, title and interest of the allottee or lessee or any person claiming through him in the land allotted or leased shall cease, and such land shall revert to the Gaon Sabha, and

(ii) direct delivery of possession of such land forthwith to the Gaon Sabha after ejection of every person holding or retaining possession thereof, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(4) Every order passed by the Collector under sub-section (3) shall, subject to the provisions of section 333, be final."

4. After section 247-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely— Insertion of new section 247-B.

"247-B. (1) Notwithstanding anything in sections 245, 246 and 247, every member of a family, the total area of land held by whose members as *bhumidhars* or *sirdars* at the commencement of any agricultural year in the whole of Uttar Pradesh does not exceed 2.52 hectares (6.25 acres) shall be exempt from the liability to pay land revenue in respect of that year :

Provided that the above exemption shall, during the agricultural year commencing on the first day of July, 1970, apply in respect of only the *rabi* instalment of land revenue.

(2) The share of an individual or any member of his family in a holding shall, for purposes of deciding whether he is entitled to the exemption mentioned in sub-section (1), be determined in such manner and by such authority as may be prescribed, but no such determination shall be binding on any court or tribunal in any suit or other proceeding relating to the holding.

(3) The prescribed authority shall prepare and publish a list, in respect of each circle, of persons entitled to the exemption mentioned in sub-section (1), containing such particulars, in such form and manner, and before such dates, as may be prescribed and shall cause relevant extracts from the list to be delivered to persons concerned.

(4) The determination of shares under sub-section (2) shall, subject to the decision of any competent court, be final for the purposes of this section.

(5) Notwithstanding the provisions of this section, the land revenue assessed for a holding shall be recorded in full in the record-of-rights, and shall, for all purposes, and in particular, in the case of a *sirdar*, for purposes of section 134, be deemed to be the land revenue payable by him.

Explanation—For the purposes of this section, 'family' consists of an individual, his or her spouse, and minor children, whether they are joint or not with the individual."

5. In sub-section (2) of section 294 of the principal Act, after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely— Amendment of section 294 of U. P. Act no. of 1951.

"(aaa) the authority which shall prepare and publish the list of tenure-holders entitled to the exemption mentioned in section 247-B, the particulars that shall be entered in such list, the form of the list, the manner of its publication, the dates before which it shall be published, the manner in which and the time within which objections may be made against any omission from or against the particulars entered in such list, and the manner in which and the authority by which those objections shall be disposed of, and matters relating to the determination of shares under sub-section (2) of the section ;"

6. In section 337 of the principal Act, clause (aa) shall be omitted. Amendment of section 337.

7. In Schedule II to the principal Act, the serial numbers 20 and 20-A and the entries relating thereto shall be omitted. Amendment of Schedule II.

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 U. P. Act I of 1961.

8. In section 13 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (3) the following proviso thereto shall be inserted, namely :— Amendment of section 13.

"Provided that the enforcement of the order appealed against shall not be stayed in respect of that part of the land the surplus character of which was either not disputed in an objection under sub-section (2) of

section 10 or under sub-section (2) of section 11 or is not disputed in the appeal and any stay order passed under this sub-section before the twenty-eighth day of September, 1970, shall, on an application being made in that behalf to the appellate court by the State Government, be modified by that court accordingly.

Explanation—For the purposes of this proviso any dispute respecting the regularity, validity or legality of a notice under section 9 or section 10 or of the proceedings before the prescribed authority shall not, by itself, be deemed to be a dispute respecting the surplus character of land.

Amendment of section 26-A. of 9. For section 26-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

“26-A. The surplus land let out to any person for an interim period under sub-section (2) of section 26, as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969, shall at the end of such period, be resumed by the Collector, and thereafter, settled in accordance with the provisions of section 27 of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969.”

Provided that where such person is a person who would if the surplus land so let out were excluded from consideration and if he were resident of the circle would have fallen under any of the clauses (b) to (h) of sub-section (1) of section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, then so much of such land, together with the area, if any, otherwise held by him aggregate to not more than 1.26 hectares (3.125 acres), shall, at the desire of that person either before or at the end of such period, be settled by the Collector with that very person.”

Amendment of section 27. of 10. In section 27 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-section shall be substituted, namely—

“(3) Any remaining surplus land shall be settled by the Collector in accordance with the order of preference, and subject to the limits, specified respectively in sub-sections (1) and (2) of section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, except that the qualification of residence in the circle, specified therein, shall not be applicable.”

CHAPTER IV

U. P. Act III of 1901. *Amendment of the U. P. Land Revenue Act, 1901*

Amendment of section 40-A. of 11. For section 40-A of the U. P. Land Revenue Act, 1901, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

“40-A. No order passed under section 33, section 35, section 39, section 40, section 41 or section 54 shall bar any suit in title suits. a competent court for relief on the basis of a right in a holding.”

Amendment of section 54. of 12. For section 54 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—

“54. (1) The Record Officer shall issue in the form prescribed extracts of the entries in the annual register and the lists of mistakes and disputes to the persons concerned. Undisputed entries and disposal of disputes regarding entries by Record Officer.”

(2) If no objection is received within such period as may be prescribed the entry shall be deemed to be undisputed.

(3) The Record Officer, of his own motion or on an objection being received within the period prescribed as aforesaid, shall decide any dispute regarding any entry in accordance with the provisions of section 40, section 41 or section 43, as the case may be, and in case the dispute involves a question of title, he shall decide the same after a summary inquiry."

CHAPTER V

Repeal

13. The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

Repeal of Uttar Pradesh Ordinance no. 18 of 1970.

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 29 दिसम्बर, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० में अग्रतर संशोधन करने के लिए

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 1,
1951 ई०

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

अध्याय—2

1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का संशोधन

2—1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे अग्रे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खंड (8-क) के उप-खण्ड (क) में अंक तथा शब्द "6.25 एकड़" के स्थान पर अंक तथा शब्द "1.89 हेक्टेयर (4.6875 एकड़)" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम सं० 1,
1961,
यू० पी० ऐक्ट
संख्या 3, 1901
संक्षिप्त नाम

1951 ई० का
उ० प्र० अधिनियम
सं० 1 की धारा
3 का संशोधन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

3—मूल अधिनियम की धारा 198 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—
“198—(1) धारा 195 या धारा 197 के अधीन व्यक्तियों को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय (जिसे आगे इस धारा में “भूमि की प्रवेशना” कहा गया है) भूमि प्रबन्धक समिति, धारा 178 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण करेगी :—

धारा 195 और 197 के अधीन भूमि उठाने में व्यक्तियों का तारतम्य

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था जो कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन में शिक्षा देती हो या इन विषयों में अन्वेषण कार्य की व्यवस्था करती हो ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुये शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल में रहने वाली भूमिहीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां और उसके भूमिहीन माता-पिता ;

(ग) मण्डल में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमि अर्जित करने से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसकी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के कारण भूमिहीन हो गया हो ;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा से (अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न) निवृत्त, निर्मुक्त या सेवामुक्त हो ;

(ङ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित जिसे कोई राजनीतिक पेंशन न मिली हो ;

(च) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(छ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(ज) कोई भूमिधर, सीरदार या असामी जिसके पास मण्डल में 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से कम क्षेत्रफल की भूमि हो ;

(झ) कोई अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(1) “भूमिहीन” का अभिप्रेषण ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास या जिसकी पत्नी या, यथास्थिति, जिसके पति या अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और सिवाय खंड (ग) के, न ही प्रदेशन के दिनांक के ठीक पूर्व, दो वर्षों के भीतर इस रूप में, कोई भूमि रही हो ; और

(2) “खेतिहर मजदूर” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेतिहर-मजदूरी या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भूमि पर कृषि कार्यों के वास्तविक संचालन में ऐसी भूमि की पैदावार में अंश-धिकार के प्रतिफल में उसकी सहायता या उसके साथ मिल कर कार्य करता हो ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए “राजनीतिक पीड़ित” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे 1930 से 1947 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध किसी आन्दोलन में भाग लेने के लिए कम से कम तीन माह के लिए निवारक निरोध या कारावास का दण्ड (या तो मौलिक दण्ड के रूप में या अर्थ दण्ड न देने के कारण) भुगतने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा दिया जाय ।

(2) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो—

(1) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 5.04 हेक्टेयर (12.50 एकड़) से अधिक न होगा,

(2) उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) या खंड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होगा, और

(3) उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होगा।

(3) कलेक्टर ऐसी प्रदेशना के बारे में नियत रीति से स्वतः जांच कर संकता है और भूमि प्रदिष्ट किये जाने से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशना अनियमित है तो वह—

(1) प्रदेशना और, यदि कोई हो, पट्टा निरस्त कर सकता है, और तदुपरान्त प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गयी भूमि में प्रदेशन-गृहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा रखने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जावेंगे, और ऐसी भूमि गांव सभा को लौट जायेगी; और

(2) यह आदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल किये जाने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा तत्काल गांव सभा को दे दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।”

4—मूल अधिनियम की धारा 247—के के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“247-ख—(1) धारा 245, 246 तथा 247 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमिधर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर (6.25 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को उस वर्ष के संबंध में दस मालगुजारी के दायित्व से छूट होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त छूट 1 जुलाई, 1970 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के दौरान मालगुजारी की केवल रवी किस्त के संबंध में लागू होगी।

(2) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, यह निश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि वह उपधारा (1) में उल्लिखित छूट का हकदार है या नहीं ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण खाते से संबंधित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा।

(3) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की, जो उपधारा (1) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची, जिसमें ऐसे व्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किये जायेंगे, तैयार करेगा, और ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित करेगा, जो नियत किये जाय, और ऐसी सूची के संगत उद्धरण संबंधित व्यक्तियों को वितरित करायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के होते हुये भी, किसी खाते के लिये निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायगी, और सभी प्रयोजनों के लिये, और विशेष रूप से, किसी सीरदार की दशा में, धारा 134 के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा दस मालगुजारी समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये “परिवार” के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं।”

5—मूल अधिनियम की धारा 294 की उपधारा (2) में खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

“(कक) प्राधिकारी जो धारा 247-ख में उल्लिखित छूट पाने के हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ऐसी सूची में दर्ज किये जाने वाले व्योरे, सूची का प्रपत्र, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिनके पूर्व वह प्रकाशित की जायगी, रीति जिसके अनुसार तथा समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज व्योरे में किसी लुप्ति के या उसके विरुद्ध आपत्तियां की जा सकती हैं, और रीति जिसके अनुसार तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा, और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बद्ध विषय,।”

नयी धारा 247-ख का बढ़ाया जाना

धारा 294 का संशोधन

धारा 337 का संशोधन
अनुसूची 2 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 337 में खंड (कक) निकाल दिया जाय ।

7—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 20 और 20-क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जाय ।

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 धारा 13 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम 1960, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि भूमि के उस भाग के संबंध में, जिसके अतिरिक्त होने के बारे में या तो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आपत्ति में विवाद नहीं उठाया गया था अथवा अपील में विवाद न उठाया गया हो उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित नहीं किया जायगा, और अक्टूबर, सितम्बर, 1970 के पूर्व इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई स्थगन आदेश, राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर, उस न्यायालय द्वारा तदनुसार परिष्कृत कर दिया जायगा ।

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ धारा 9 या धारा 10 के अधीन किसी नोटिस की, या नियत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों की, नियमितता, विध्यनुकूलता या वैधता के संबंध में कोई विवाद, स्वतः, भूमि का अतिरिक्त भूमि होने से संबंधित विवाद नहीं समझा जायेगा ।”

धारा 26-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 26-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

“26-क—किसी व्यक्ति को धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अधीन भूमि-विधि के लिये पट्टे पर दी गयी अतिरिक्त भूमि ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जायेगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा :

उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

प्रतिबन्ध यह है कि जहां वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो, यदि इस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी अतिरिक्त भूमि की गणना न की जाती और यदि वह मण्डल का निवासी होता तो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (ज) तक में से किसी खंड के अन्तर्गत आता तो उस भूमि में से उतनी भूमि का बन्दोबस्त जो उसके द्वारा अन्य प्रकारेण घृत भूमि के क्षेत्रफल को, यदि कोई हो, जोड़ कर 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होती हो, उस व्यक्ति की इच्छा पर, उक्त अवधि के अन्त में अथवा उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ किया जायगा ।”

धारा 27 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्

“(3) किसी शेष अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा ऐसे तारतम्य के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जायगा जो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की क्रमशः उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट हैं, सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट, मंडल में रहन की अर्हता सामान्य न होगी ।”

अध्याय—4

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट, संख्या 3, 1901 धारा 40-ए का संशोधन

11—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 40-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

“40-ए—धारा 33, धारा 35, धारा 39, धारा 40, धारा 41 या धारा 54 के अधीन, आगम-वादों के संबंध में अपवाद दिये गये किसी आदेश से किसी खाते में अधिकार के आधार पर अनुतोष के लिए किसी सक्षम न्यायालय में किसी वाद पर कोई एकादत न होगी ।”

12—मूल अधिनियम की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 54 का संशोधन

“54—(1) अभिलेख अधिकारी संबंधित व्यक्तियों को नियत प्रपत्र में वार्षिक रजिस्टर निविदा प्रविष्टियां और प्रविष्टियों से संबंधित विवादों का अभिलेख अधिकारी द्वारा निस्तारण की प्रविष्टियों और अणुद्धियों तथा विवादों की सूची के उद्धरण देगा।

(2) यदि ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, कोई आपत्ति प्राप्त न हो तो प्रविष्टि निविदा समझी जायेगी।

(3) अभिलेख अधिकारी, स्वतः, या उपर्युक्त विहित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होने पर, किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी विवाद का निर्णय, यथास्थिति, धारा 40, धारा 41 या धारा 43 के उपबन्धों के अनुसार करेगा और यदि विवाद में आगम का प्रश्न अन्तर्भूत हो तो वह उसका निर्णय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा।”

अध्याय—5 निरसन

13—उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्या-
देश संख्या 18,
1970